शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर विवाद

प्रिलिम्स के लिये:

शाही ईदगाह, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, केशव देव मंदिर, औरंगजेब, **दाराशिकोह**, बनारस के राजा, बाबरी मस्जिद फैसला

मेन्स के लिये:

पूजा स्थलों से संबंधित विवादों के निवारण में न्यायपालिका का महत्त्व।

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि **मथुरा में तीन गुंबद वाली मस्जिद शाही ईदगाह के लिये एक सर्वेक्षण** किया जाएगा।

- यह मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित शाही ईदगाह मस्जिद का निरीक्षण करने के लिये **एक आयोग की नियुक्ति की मांग** कर रहा है।

क्या है विवादित भूमि का इतिहास?

- ओरछा के **राजा वीर सिंह बुंदेला** ने **वर्ष 1618** में उसी परिसर में **एक मंदिर** बनवाया था तथा मस्जिद का निर्माण वर्ष 1670 में औरंगजेब ने पहले के मंदिर के स्थान पर कराया था।
- माना जाता है कि **मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान मंदिर का निर्माण लगभग 2,000 वर्ष पूर्व, पहली शताब्दी ईस्वी में** हुआ था।
- हिंदू प्रतिनिधियों द्वारा उस परिसर के **पूर्ण स्वामित्व की मांग के कारण एक सर्वेक्षण का आदेश** दिया गया है, जहाँ वर्ष 1670 में मुगल सम्राट **औरंगजेब के आदेश पर केशव देव मंदिर को नष्ट** कर दिया गया था।
- यह मंदिर मूल रूप से **वर्ष 1618 में जहाँगीर के शासनकाल के दौरान** बनाया गया था और इसका **संरक्षण** औरंगजेब के भाई तथा प्रतिद्वंद्वी **दाराशिकोह** ने किया था।
- **वर्ष 1815** में **बनारस के राजा** ने **ईस्ट इंडिया कंपनी** से 13.77 एकड़ भूमि खरीदी।
- तत्पश्चात् **श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट** की स्थापना की गई।
  - ट्रस्ट ने **वर्ष 1951** में मंदिर पर अपना स्वामित्व हासिल कर लिया।
  - 13.77 एकड़ भूमि इस शर्त के साथ ट्रस्ट के अधीन रखी गई थी कि इसे कभी बेचा अथवा गिरवी नहीं रखा जाएगा।
  - **वर्ष 1956** में मंदिर संबंधी मामलों के प्रबंधन के लिये **श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ** की स्थापना की गई।
  - वर्ष 1968 में **श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ** तथा **शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट** के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए, जिसके तहत मंदिर प्राधिकरण ने समझौते के हिस्से के रूप में भूमि का एक हिस्सा **ईदगाह** को दिया।
  - वर्तमान में चल रहे विवाद में मंदिर के याचिकाकर्त्ता शामिल हैं जो भूमि के संपूर्ण हिस्से पर कब्ज़ा चाहते हैं।

मुद्दे की वर्तमान स्थिति क्या है?

- सर्वेक्षण की मांग के लिये याचिका हिंदू देवता, **श्री कृष्ण** की ओर से सात लोगों द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष लंबित अपने मूल मुकदमे में दावा किया था कि मस्जिद का निर्माण **वर्ष 1670** में **मुगल सम्राट औरंगज़ेब** के आदेश पर **श्री कृष्ण के जन्मस्थान** पर किया गया था।
  - **वर्ष 2019 में बाबरी मस्जिद निर्णय** के बाद से **श्री कृष्ण जन्मभूमि** तथा **शाही ईदगाह मस्जिद** से संबंधित नौ मामले **मथुरा न्यायालय** में दायर किये गए हैं।
- **इलाहाबाद उच्च न्यायालय** ने **श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद** से संबंधित विभिन्न राहतों पर **मथुरा न्यायालय** के समक्ष लंबित सभी मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित कर लिया।
- **उच्च न्यायालय** में **उ.प्र. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड** और **शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी** ने दलील दी कि **भगवान कृष्ण का जन्मस्थान** मस्जिद

के अधीन नहीं है।
    - उन्होंने कहा कि वादी के दावे में सबूतों का अभाव है और यह अटकलों पर आधारित है।
- **शाही ईदगाह मस्जिद की कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट** ने जब **उच्च न्यायालय** से सर्वे पर रोक लगाने की मांग की तो न्यायालय ने कोई राहत नहीं दी।

उपासना स्थल अधिनियम, 1991 क्या है?

- **परिचय:**
    - इसे **धार्मिक उपासना स्थलों की स्थिति** को **स्थिर** करने के लिये अधिनियमित किया गया था क्योंकि वे **15 अगस्त, 1947** को अस्तित्व में थे और किसी भी उपासना स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाते हैं एवं उनके धार्मिक चरित्र के रखरखाव को सुनिश्चित करते हैं।
- **अधिनियम के प्रमुख प्रावधान:**
    - **धर्मांतरण पर रोक (धारा 3):**
        - यह किसी उपासना स्थल को, चाहे पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, एक धार्मिक संप्रदाय से दूसरे में या एक ही संप्रदाय के भीतर परिवर्तित करने से रोकता है।
    - **धार्मिक चरित्र का रखरखाव {धारा 4(1)}:**
        - यह सुनिश्चित करता है कि उपासना स्थल की धार्मिक पहचान वही बनी रहे जो **15 अगस्त, 1947** को थी।
        - **ज्ञानवापी मामले** में **इलाहाबाद उच्च न्यायालय** के हालिया रुख से पता चलता है कि **उपासना स्थल अधिनियम, 1991** "**किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र**" को स्पष्ट नहीं करता है और प्रत्येक मामले में इसे केवल मौखिक तथा लिखित दोनों साक्ष्यों के आधार पर परीक्षण के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है।
    - **लंबित मामलों का निवारण {धारा 4(2)}:**
        - घोषणा करती है कि **15 अगस्त, 1947** से पहले किसी पूजा स्थल को धार्मिक चरित्र में बदलने के संबंध में चल रही कोई भी कानूनी कार्यवाही समाप्त कर दी जाएगी और कोई नया मामला प्रारंभ नहीं किया जा सकता है।
    - **अधिनियम के अपवाद (धारा 5):**
        - यह अधिनियम **प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों**, पुरातात्विक स्थलों तथा **प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल व अवशेष अधिनियम, 1958** के अंतर्गत आने वाले अवशेषों पर लागू नहीं होता है।
        - इसमें वे मामले भी शामिल नहीं हैं जो पहले ही निपटाए जा चुके हैं या सुलझाए जा चुके हैं और ऐसे विवाद जिन्हें आपसी समझौते से सुलझाया गया है या अधिनियम लागू होने से पहले हुए रूपांतरण शामिल हैं।
        - यह अधिनियम अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के नाम से जाने वाले विशिष्ट पूजा स्थल तक विस्तारित नहीं है, जिसमें इससे जुड़ी कोई कानूनी कार्यवाही भी शामिल है।
    - **दंड (धारा 6):**
        - अधिनियम का उल्लंघन करने पर अधिकतम तीन साल की कैद और जुर्माने सहित दंड निर्दिष्ट करती है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/shahi-idgah-and-krishna-janmabhoomi-temple-dispute